राष्ट्रीय महिला आयोग

दिनांक 11 सितंबर, 2020 को "परिचालन द्वारा कार्यसूची (एजेंडा बाइ सर्क्यूलेशन)" के माध्यम से आयोजित आयोग की 208वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सहभागी

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्षा
2. सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3. सुश्री सोसो शाइजा	सदस्य
4. सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
5. सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
6. सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य
7. सुश्री मीता राजीवलोचन	सदस्य-सचिव

कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए आयोग में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ "परिसंचरण द्वारा कार्यसूची" के माध्यम से आयोग की 208वीं बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, दिनांक 09 सितंबर, 2020 को ई-मेल के माध्यम से सभी संबंधितों को कार्यसूची परिचालित कर दी गई थी। ई-मेल में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि दिनांक 14 सितंबर, 2020 तक किसी भी सहभागी से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो आयोग की 208वीं बैठक की कार्यसूची मदों को अनुमोदित माना जाएगा।

चूंकि किसी भी सहभागी से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए उल्लिखित विवरण के अनुसार, निम्नलिखित कार्यसूची मदों को अनुमोदित माना जाता है।

कार्यसूची मद सं. 208/I/1:

दिनांक 25 अगस्त, 2020 को आयोजित आयोग की 207वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2020 को आयोजित आयोग की 207वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्यसूची मद सं. 208/I/2:

दिनांक 25 अगस्त, 2020 को आयोजित आयोग की 207वीं बैठक की मदों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

दिनांक 25 अगस्त, 2020 को आयोजित 207वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग द्वारा नोट किया गया।

कार्यसूची मद सं. 208/I/3:

"मेट्रो शहरों में पूर्वोत्तर महिलाओं द्वारा संबोधित मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सशक्त बनाने" पर वेबिनार की रिपोर्ट।

आयोग ने विचार विमर्श किया और दिनांक 29 जुलाई, 2020 को संचालित "मेट्रो शहरों में पूर्वोत्तर महिलाओं द्वारा संबोधित मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सशक्त बनाने" पर वेबिनार की रिपोर्ट का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 208/I/4:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित वेबिनार प्रस्ताव (10.07.2020-10.08.2020)।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15 वेबिनारों के चयन के लिए कार्योत्तर अनुमोदन।
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान द्वितीय चरण में चयनित 15 वेबिनार प्रस्तावों के लिए 7,50,000/-रूपये (केवल सात लाख पचास हजार रूपये) का वित्तीय अनुमोदन। इस रकम में से, आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम किश्त के रूप में 3,75,000/-रूपये (केवल तीन लाख पचहत्तर हजार रूपये) अर्थात् कुल स्वीकृत राशि का 50% जारी किया जाना है।

कार्यसूची मद सं. 208/I/5:

दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निदेशक/मनोरोग गृह के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोग की ई-बैठक/वीडियो कांफ्रेंस के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निदेशक/मनोरोग गृह के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोग की ई-बैठक/वीडियो कांफ्रेंस के कार्यवृत्त की अभिपुष्टि की।

कार्यसूची मद सं. 208/I/6:

विधिक सेवा प्राधिकारियों के सहयोग से विधिक जागरूकता कार्यक्रम;

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया:

i. गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को 10,00,000/-रूपये (केवल दस लाख रूपये) जारी करना।
ii. पूर्वोत्तर क्षेत्रों (एनईआर) में विधिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को 2,88,000/-रूपये (केवल दो लाख अठासी हजार रूपये) जारी करना।

कार्यसूची मद सं. 208/I/7:

दिनांक 21 अगस्त, 2020 को आयोजित 'भारत में महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध' पर वेबिनार।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

i. वेबिनार का कार्यवृत्त तैयार करना और सभी प्रतिभागियों में परिचालन।
ii. वेबिनार में चर्चा से प्राप्त सिफारिशें और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) हेतु संबंधित मंत्रालयों को अग्रेषण।

कार्यसूची मद सं. 208/II/1:

वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और 31.08.2020 तक उपगत व्यय।

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और 31.08.2020 तक व्यय विवरणी नोट कर लिया।

कार्यसूची मद सं. 208/II/2:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ के संबंध में मासिक रिपोर्ट (अगस्त, 2020) को नोट कर लिया है।

(मीता राजीवलोचन)	**(रेखा शर्मा)**
सदस्य सचिव	**अध्यक्षा**